संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें
इंदावती भवन, भूतल, ब्लॉक –3, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 2151/प.चि./नि.स./2020 नवा रायपुर, दिनांक 26/03/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,

2. समस्त पुलिस अधीक्षक

विषय –पशु चिकित्सा सेवाएँ अंतर्गत संचालित गतिविधियों, दुग्ध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन, पशु आहार, पोल्ट्री फीड के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त रखने बावत् ।

संदर्भ –संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली का पत्र कमांक डी.ओ नं. के–13013(15)/18/2020–एल एच दिनांक 23 मार्च 2010

–0–

विषयान्तर्गत लेख है, कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु देश/प्रदेश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है, और अंर्तराज्यीय वाहन परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा में सम्मिलित किया गया है। पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित अत्यावश्यक गतिविधियों को लॉक डाउन अवधि में मुक्त रखे जाने के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है –

1. **पशु चिकित्सालय** – पशु चिकित्सालय से तात्पर्य पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवायें जैसे – पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालायें, केन्द्रीय वीर्य संस्थान, तरल नत्रजन संयंत्र एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवायें सम्मिलित है तथा इसमें उपयोग में आने वाली औषधियां, वैक्सीन, तरल नत्रजन, हिमीकृत वीर्य (सीमन) आदि भी सम्मिलित है।

2. **दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट** – दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट को बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ अंतर्गत रखा गया है। इस श्रेणी में दूध, दूध की पैकिंग एवं वितरण संबंधित समस्त सामग्री सम्मिलित है।

3. **पशु आहार** – पशु आहार के अंतर्गत पशुआहार (जो सभी घटकों को मिलाकर तैयार किया गया हो), पशु आहार को बनाने हेतु उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे–मक्का,

Scanned with CamScanner

राइस ब्रान, खली, चुनी आदि। इसके साथ ही पशु आहार अंतर्गत सूखा चारा, हरा चारा को भी परिवहन से मुक्त माना जावे। सूखा चारा/हरा चारा का परिवहन पशुपालकों तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिलें में या जिले के बाहर किया जाता है। अतः पशुआहार, पशुआहार के घटक, हरा चारा तथा सूखे चारे का पूर्णतः लॉक डाउन से मुक्त रखा जावे।

4. **पोल्ट्री एवं पोल्ट्री फीड** – पोल्ट्री फीड की कमी से पक्षियों की मृत्यु होने की संभावना है। अतः पोल्ट्री फीड अंतर्गत संपूर्ण पोल्ट्री फीड अथवा पोल्ट्री फीड के विभिन्न घटक जैसे राइस ब्रान, लाइम स्टोन ग्रिट, शेल ग्रिट, डाई कैल्सियम फास्फेट, मक्का सोया, विभिन्न प्रकार के खली, पोल्ट्री वैक्सीन एवं औषधि आदि को पूर्णतः लाक डाउन से मुक्त रखा जावे।

अतः इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सेवाओं/गतिविधियों को लॉक डाउन से मुक्त रखते हुये इनसे संबंधित अमले एवं सामग्रियों का आवागमन एवं परिवहन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश सर्व संबंधितों को प्रसारित करने का कष्ट करें।

C.R. [signature] 26/3/20

(डॉ. सी.आर. प्रसन्ना IAS)
संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक 2150 पृ.चि. नि.स./2020,

नवा रायपुर, दिनांक 26/03/2020

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर छ0ग0।
2. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, मंत्रालय नवा रायपुर छ0ग0।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. आयुक्त, संभाग ....(समस्त)।
5. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नवा रायपुर छ0ग0। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संयुक्त/उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला ....छ0ग0।
7. समस्त प्रक्षेत्र प्रबंधक, कुक्कुट/पशु प्रजनन/बकरी/सूकर पालन प्रक्षेत्र ....छ0ग0।

C.R. [signature]

संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

उपमन्यु बसु
संयुक्त सचिव
UPAMANYU BASU
Joint Secretary

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

D.O No. K-13013(15)/18/2020-LH

Dated: 23rd March, 2020

Dear Sir/Madam,

As you may be aware, due to the ongoing steps to control and contain the COVID 19 pandemic, many states have gone for complete lockdown to check spread of the virus.It is necessary to ensure continuous emergency services in the animal husbandry and veterinary sector, especially in emergent animal health situations. These may include, but are not restricted to, emergency services like disease diagnosis and treatment, monitoring of any emergency livestock and poultry diseases, immediate disease reporting, etc.

Accordingly, it is requested that veterinary hospitals and dispensaries in the state, including private veterinary clinics, veterinary pathologies, animal shelters etc. function in the normal course and the veterinary services be considered in the list of 'Essential Services'.

However, veterinarians and related officials should ensure strict personal hygiene and avoid public gathering.

Best regards,

Yours sincerely,

Upamanyu Basu

(Upamanyu Basu)

Chief Secretary of All States and UTs.

Copy to:

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretaries of Animal Husbandry for All States and Union Territories

Scanned with CamScanner